

उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

वाही

प्रतिवादी

बनाम

आशरण राम प्रबु पन्नाराम

बलराम प्रबु राधूराम गेहरा

शेहरा निंरखा

निंरखा


किस्म मुकदमा श्रीजलवादे अधीन धारा

S3,188 R.A.C.

मु.नं.

152

2018



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
5/6/18	<p>प्रत्यमेव जयते</p> <p>प्रतिवादी वादे वाही ने प्रतिवादीगण के खिलाफ अर्जेंट डायर S3,188 R.A.C. के तहत पत्र लिखा वाहीका आवेदन वाद पत्र द्वारा S3,188 R.A.C. के तहत हर्ज शर्मा ही वाही को सुना वाही ने कथन किया की ग्राम शवा के खण्ड 166 ने खादेसीची मुरीकहवा सुडा जमीन ने प्रतिवादीगण परेशान कर कब्जा करने पर उतारु ही उन्हें पाबन्द करमावे प्रतिवादीगण को कोष में बुलाया गया प्रतिवादीगण उपर अरपयं गा.पं.भूपुरा शेरा उपर पक्षकारण को आपस में बहस सामग्री करके पर बरवांरा कराने पर सहमत होने से कोष में उपस्थित तहसीलदार लुपामन को निर्देशित जय की पक्षकारण का शीजीनामा माफिक बरवांरा कहीं पक्षकारण द्वारा शीजीनामा पत्र सिंग 1 फीसट शर्पां ने टांताधर कुंभे शीजीनामा इरा. 1 गिं विना मिल वाहीके आवेदन वाद पत्र में कार्यवाही होख नही वेने से पत्रवाही जखर से काठ होख फौजदारी जाएवे</p> <p>निर्णय अरु आम कोष भूपुरा शेरा में बुलाया गया</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)